"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 मार्च 2010—फाल्गुन 11, शक 1931

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 2 मार्च, 2010 (फाल्गुन 11, 1931)

क्रमांक-2591/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010), जो दिनांक 26 फरवरी, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010" कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 11 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 11 की उपधारा (8) में शब्द "जो पांच वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 12 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) में शब्द "चार वर्ष की अवधि तक" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष की अवधि के लिये" प्रतिस्थापित किया जाए.

निरसन.

4. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 11 की उपधारा (8) में प्रथम कुलपति की दो वर्ष तक की नियुक्ति का प्रावधान था. इस प्रावधान को छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा "दो वर्ष" के स्थान पर "पांच वर्ष" किया गया, लेकिन उक्त अधिनियम, 2004 की धारा 12 की उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रावधान है.

धारा 12 (2) "कुलपति चार वर्ष की अवधि तक अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी कम हो पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्ति का पात्र होगा."

2. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति दो वर्ष के लिये की गई जिसे उक्त संशोधन के तहत पांच वर्ष के लिये किया गया. वस्तुत: स्थिति यह है कि प्रथम कुलपति 70 वर्ष की आयु उपरान्त भी पद धारण करने अथवा पद धारण नहीं करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है. इससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है. अत: धारा 12 की उपधारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है ताकि धारा 11 की उपधारा (8) एवं धारा 12 की उपधारा (2) में एकरूपता हो.

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ के परिप्रेक्ष्य में समस्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष तथा सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष रखा जाता है.

अतः धारा 12 (2) में कार्यकाल पांच वर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव दिया गया है.

4. उपरोक्त प्रावधान शामिल करने वाला छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) निरसित करने का प्रस्ताव है.

5. राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) दिनांक 15-10-2009 को जारी किया गया था.

6. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 10 फरवरी, 2010

हेमचंद यादव,
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 11 एवं 12 का उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 11 की उपधारा (8) राज्य शासन एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान की नियुक्ति नवगठित विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर करेगा जो पांच वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के छ: माह के भीतर, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करे और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्यपरिषद् विद्यापरिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा.

धारा (12)

(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.

(2) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी कम हो, पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी वह तब तक पद धारण किये रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छ: मास से अधिक नहीं होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.